

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2815]	नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2016/अग्रहायण 9, 1938
No. 2815]	NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016/AGRAHAYANA 9, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2016

का.आ. 3594(अ).—केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 दिसंबर, 2016 को उक्त संहिता की निम्नलिखित धाराओं के उपबंधों को प्रवृत्त करने की तारीख नियत करती है:-

- (1) धारा 2 के खंड (क) से खंड (घ) [स्वैच्छिक समापन या शोधन अक्षमता से संबंधित उपबंध को छोड़कर];
- (2) धारा 4 से धारा 32 [दोनों सहित];
- (3) धारा 60 से धारा 77 [दोनों सहित];
- (4) धारा 198;
- (5) धारा 231;
- (6) धारा 236 से धारा 238 [दोनों सहित]; और
- (7) धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (च)।

[फा. सं. 30/7/2016-इंसोल्वेंसी अनुभाग]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

5530 GI/2016 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2016

S.O. 3594(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby appoints the 1st December, 2016 as the date on which the provisions of the following sections of the said Code shall come into force:-

- (1) clause (a) to clause (d) of section 2 (except with regard to voluntary liquidation or Bankruptcy);
- (2) section 4 to section 32 [both inclusive];
- (3) section 60 to section 77 [both inclusive];
- (4) section 198;
- (5) section 231;
- (6) section 236 to section 238 [both inclusive]; and
- (7) clause (a) to clause (f) of sub-section (2) of section 239.

[F. No. 30/7/2016-Insolvency Section]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.